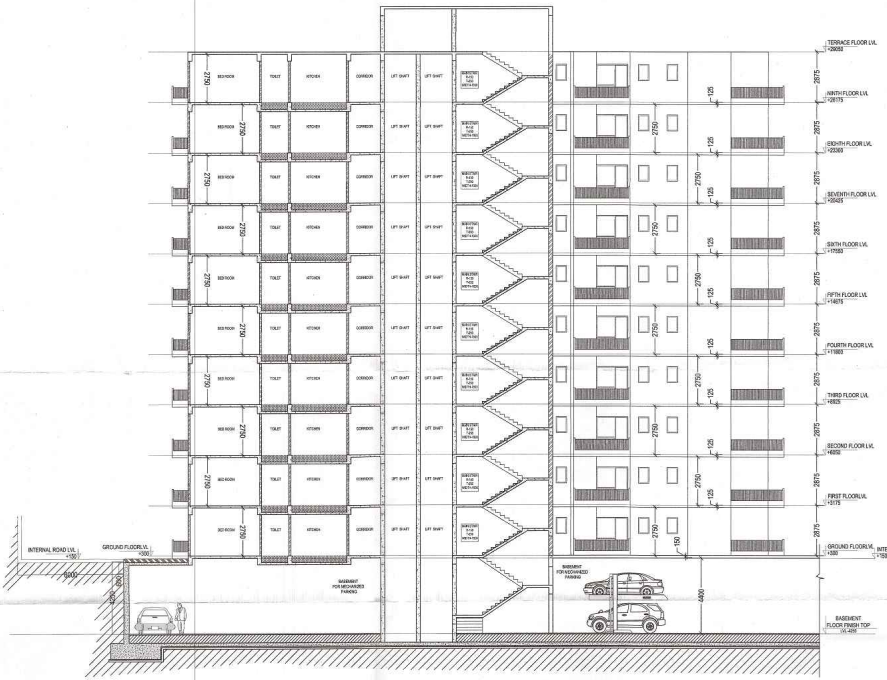

"प्राधिकार की पूर्व में जारी मानचित्र की अतिरिक्त के अन्तर्गत मान्य है।"

— पी. एन. पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता

"मानचित्र स्वामित्व किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति मान्य नियम समझी जायेगी।"

"Right Title के अनुसार भूमिधर भूमि अंकित है निर्माण कार्य किए जायेंगे"

"नियम संख्या 14 के तहत 10 प्रतिशत मानचित्र का शुल्क 10.00 नियम अधिकृत शुल्क।"

"यह मानचित्र स्वीकृति से केवल भवन मात्र तक वैध है।"

"प्राधिकार एवं अन्य संबंधित संस्थाओं का नक्शा के निरस्तुपत्र पंजीयन कराना मान्य आवश्यक है।"

"नियमावली अवधि में निर्माण संपन्न न हुआ तो बाद में पुनः स्वीकृति करना या प्राधिकार द्वारा जारी नियम शर्तों में परिवर्तन एवं उनके उल्लंघन की अवधि में नियमित मानचित्र या शर्तों का निरसन एवं अन्य कार्यालय शुल्क का प्रावधान प्राधिकार एवं के द्वारा [illegible] को मैं पालन हेतु बंधे हुए [illegible]"

PROJECT :

PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT AT PLOT NO. GH-7B, KOYAL ENCLAVE, GHAZIABAD, U.P.

CLIENT :

SRM INFRATECH SOLUTIONS PVT. LTD.

Sandeep Tandon
Architect
CA/07/21634

ARCHITECT SIGN

Infratech Solutions Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

OWNER SIGN

DRAWING TITLE :

SECTION A-A'

REVISION

SCALE

ARCHITECTS AND CONSULTANTS

AE STUDIO

B-6/20, SAFDARJUNG ENCLAVE,
NEW DELHI-110029, Ph- 27410126
Email- info@aestudio.in

PROJECT NO.
219

SCALE

DRAWN BY

CHECKED BY

DATE
26.08.2010